न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 48/2014

आरसीएमएस नम्बर : 2014/00203

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. श्री छतरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी मालारी, तहसील बाली जिला पाली (राज.)		1. श्री सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी मालारी, तहसील बाली जिला पाली (राज.) 2. श्री भंवरसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी मालारी, तहसील बाली जिला पाली (राज.) 3. सरपंच, ग्राम पंचायत शिवतलाव, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चम्पावत
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपाराम परमार

–: निर्णय :–

दिनांक : 07/01/2020

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली की मिसल संख्या 122/2004–2005 व 123/2004–2005, संकल्प संख्या 06 (2 व 3) दिनांक 10.06.2009 तथा इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 39 व 40 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी याचिका में अंकित तथ्यो का उल्लेख करते हुए वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी छतरसिंह एवं अप्रार्थी सुमेरसिंह तथा उनके भाई रामसिंह के आवासीय पुश्तैनी भूखण्ड एक ही दिशा में स्थित है तथा उनके सामने उनके एक अन्य भाई देवीसिंह का भूखण्ड स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए मिसल संख्या 122/2004–2005 एवं मिसल संख्या 123/2004–2005 कायम कर नियमों के विपरीत जाते हुए, ग्राम पंचायत द्वारा एक ही प्रस्ताव 6 (2 व 3) दिनांक 10.06.2009 को जारी करा कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 40 व 39 जारी करवा दिया। उक्त पट्टे जारी करने में ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही स्थान पर बैठकर पूरी की गई है तथा उनके द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उनके मध्य हुए समझौते के आधार पर निगरानी याचिका का निस्तारण करावे। उक्त प्रार्थना पत्र अनुसार पट्टा संख्या 40 के पट्टे का क्षेत्रफल प्रार्थी की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खातेदारी की कृषि भूमि के भाग तक जाता है, जिसका संशोधन करने का निवेदन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने दिनांक 10.12.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर पट्टे संख्या 39 के संबंध में अपनी Prayer को Not press करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अगर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य हुए समझौते के अनुसार निगरानी याचिका का निस्तारण किया जाता है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2019 व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2019 का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना में उल्लेख किया कि वे पट्टा संख्या 39 को चुनौती नहीं देना चाहते है तथा इस संबंध में अपनी Prayer को Not press करने का निवेदन किया है, जो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 01.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर उनके मध्य हुए समझौते के आधार पर निगरानी याचिका का निस्तारण करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होनें पैरा संख्या 3 में उल्लेख किया कि पट्टा संख्या 40 का अन्तरण अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया, उक्त प्लॉट का उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा का भाग प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के भाग तक जाता है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 40 जारी किया गया है, उसका कुछ हिस्सा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि में में समाहित होता है, जो एक स्वीकार्य तथ्य है। ग्राम पंचायत को खातेदारी की कृषि भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। जिससे जैर निगरानी पट्टा संख्या 40 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा जारी मिसल संख्या 123/2004, प्रस्ताव संख्या 6(3)/10.06.2009 एवं इसकी पालना में पारित पट्टा संख्या 39 को यथावत रखा जाता है तथा मिसल संख्या 122/2004–05, प्रस्ताव संख्या 6(2)/10.06.2009 एवं इसकी पालना में पारित पट्टा संख्या 40 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत शिवतलाव को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली